न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज संतोष बनाम अधीशाषी अभियंता मु.नं.– 13/23 किस्म – क्र.ट.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	01.8.25 पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 08.8.25 को पेश हो। Sd/- 08/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर रूल वाद के साथ नत्थी हो। Sd/- उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
13/2023	03.03.2023	08.08.2025

बउनवान

1. संन्तोष पुत्र कानाराम, निवासी खैरपुर, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

1. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिकन्दरा, तहसील सिकराय, दौसा।
2. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बॉदीकुई, जिला दौसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री लक्ष्मीनारायण मीना।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम खैरपुर, पटवार हल्का पून्दरपाडा, तहसील बैजूपाडा में स्थित विवादित आराजीयात खाता संख्या नया 55 पुराना 32 के आराजी खसरा सं. 143 लगायत 148, 150, 151, 154 लगायत 167 व 169, 332 333, 334, 338, 340, 341, 346, 347, 349, 350, 351, 451/149, 453/152, 454/152, 456/153, कुल किता 38, कुल रकबा 10.08 हैक्टे. प्रार्थी की तथा वाद पत्र में प्रतिवादी सं. 3 लगायत 19 की संयुक्त खातेदारी भूमि है जिसका अभी तक विधिवत तकास्मा नहीं हुआ लेकिन सभी खातेदारान ने बाहमी रूप से भूमि का बंटवारा कर अपने–अपने हिस्से में आई भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। इस प्रकार प्रार्थी के हिस्से में आराजी खसरा सं. 145 रकबा 0.23 हैक्टे. है जिसको प्रार्थी वर्षों पूर्व से अपने उपयोग–उपभोग में लेकर लाभान्वित होता चला आ रहा है जिससे किसी दीगर खातेदार का कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। विवादित आराजीयात में राजस्व रिकार्ड खातेदारी के अनुसार, खसरा सं. 467/142 रकबा 0.14 हैक्टे. गैर मुमकिन रास्ता दर्ज चला आ रहा है व उक्त रास्ते को सभी सहखातेदारान व आम जन अपने उपयोग उपभोग में गाडी, टैक्टर, कृषि करने आदि के उपयोग–उपभोग में अपने बुजुर्गो के समय से लेते चले आ रहे हैं। विवादित आराजी खसरा सं. 145 रकबा 0.23 हैक्टे. पर प्रार्थी अपने बुजुर्गान के समय से काबिज चला आ रहा है जिसके पश्चिमी हिस्से में होकर खसरा सं. 467/142 गै. मुमकिन रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है लेकिन अप्रार्थी सं. 01 व 02 जबरन नक्शा शीट के विरूद्ध अवैध तरीके से दक्षिणी मेड से लेकर पूर्वी मेड होते हुये सडक निर्माण करने पर आमादा है जो कि विधि विरूद्ध, रिकॉर्ड व

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

नक्शा शीट के विरूद्ध है। उक्त अवैध रूप से रास्ता निकालने का अप्रार्थी सं. 01 व 02 को कोई अधिकार नही है। प्रार्थी एक कृषक पेशा व्यक्ति है जिसके पास उक्त विवादित आराजी के अलावा अन्य कोई काश्त की भूमि नही है। प्रार्थी उक्त भूमि पर काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है किन्तु अप्रार्थी सं. 01 व 02 बिना किसी विधिक अधिकार के अगर विवादित आराजीयात के पश्चिम व पूर्वी हिस्से में होकर सडक निर्माण करते है तो प्रार्थी की सम्पूर्ण भूमि ही सडक में चली जावेगी व प्रार्थी का जीविकोपार्जन का जरिया ही समाप्त हो जावेगा जिससे प्रार्थी के परिवार के भूखे मरने की नौबत पैदा हो जायेगी जिसकी पूर्ती किसी भी कदर होना सम्भव नहीं है। इसलिये अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। दिनांक 02.03.2023 को बिना प्रार्थी की इजाजत व सहमति के, बिना कोई नोटिस या मुआवजा दिये प्रार्थी की खड़ी हुई फसल को नष्ट करते हुये सडक मौके पर बनाने पर आमादा हो गये जबकि प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 01 व 02 से नक्शासीट के मुताबिक सडक निर्माण करने का निवेदन किया तो अप्रार्थी सं. 01 व 02 नहीं माने तथा कहने लगे कि हम जबरन बल प्रयोग करके विवादित आराजीयात में सडक का निर्माण और करेंगे। प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई मुआवजा राशि सडक निर्माण के लिये नही दिया है तथा ना ही किसी प्रकार से विवादित आराजीयात को सडक निर्माण बाबत अधिग्रहित किया है। उन्होंने अवैध रूप से विवादित आराजीयात में सडक का मौके पर फसल को नष्ट कर सडक निर्माण करने पर आमादा हो रहे है। अप्रार्थी सं. 01 व 02 यदि अपने नाजायज मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ती किसी कदर सम्भव नही होगी। ऐसी सूरत में अप्रार्थीगण को इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है कि वो भूमि मुतदाविया में प्रार्थी के प्राप्त विधिक अधिकार के विरुद्ध जाकर अवैध रूप से नक्शा सीट के विरूद्ध मौके पर रोड का निर्माण नहीं करे। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 01 व 02 को इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाया जावे कि विवादित आराजी खसरा सं. 145 रकबा 0.23 हैक्टे. में दर्ज नक्शा सीट के विरूद्ध वर्णित पर अप्रार्थी सं. 01 व 02 सडक का निर्माण नही करे तथा विवादित आराजी में प्रार्थी को प्राप्त विधिक अधिकारों का हनन करने से व उनके विरूद्ध किसी भी प्रकार का अवैध कार्य करने के लिये व अप्रार्थी सं. 03 मौके व राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखने के लिये प्रतिबन्धित रहे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थीगण को, वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र, नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बन्द कर दिया गया।

3. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का, एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मंण्डावर (दौसा)

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

4. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के अनुसार, विवादित आराजी खसरा सं. 145 के प्रार्थी दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र का न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। वाद पत्र के लम्बित रहने की अवधि के दौरान, यदि अप्रार्थी सं. 1 व 2 के द्वारा विवादित आराजी खसरा सं. 145 में दर्ज नक्शा शीट के विरूद्ध प्रार्थी की खातेदारी भूमि में सड़क का निर्माण किया जाता है तो प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव होगा व प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। इससे वाद बहुलता में व मौके पर विवाद में बढ़ोत्तरी होगी। इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है।

5. उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक विवादित आराजी खसरा सं. 145 को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने से, नुकसान पहुंचाने से, वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

6. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम खैरपुर, पटवार हल्का पून्दरपाडा, तहसील बैजूपाडा में स्थित विवादित आराजी खसरा सं. 145 रकबा 0.23 हैक्टे. के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाता है कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 विवादित आराजी खसरा सं. 145

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

में दर्ज नक्शा शीट के विरूद्ध सडक का निर्माण नही करे व अप्रार्थी सं. 3 मौके व राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

7. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 08.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)